GOVERNMENT OF INDIA



प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 39] दिल्ली, अक्तूबर 1—अक्तूबर 7, 2010, बृहस्पतिवार/आश्विन 9-आश्विन 15, 1932 [स.स.क्षेदि सं 165, 171] No. 39] DELHI, OCTOBER 1—OCTOBER 7, 2010, THURSDAY/ASVINA 9—ASVINA 15, 1932 [N.C.T.D. No. 165, 171]

भाग —IV PART –IV

भाग-1 में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than Notifications included in Part-I

> राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

> > पंजीयक सहकारी समितियों का कार्यालय

(सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

दिल्ली, 29 सितम्बर, 2010

सं. फा.47/218/पश्चिम/गृह आवास/सह./1425.—दिल्ली सहकारी समितियाँ अधिनियम, 2003 की धारा 127 (दिल्ली अधिनियम-3, 2004) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, घेवा संपदा सहकारी सामुहिक आवासीय समिति (पंजी. संख्या 218) की धारा 35 (4) के प्रावधानों से उन्मुक्त करते हैं, तथा उक्त समिति के प्रशासक की नियुक्ति की अविध को दिनांक 31-03-2011 तक बढाये जाने की सहर्ष अनुमित देते हैं।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर,

फिलिप थंगलिएनमांग, संयुक्त पंजीयक सहकारी समितियाँ

OFFICE OF THE REGISTRAR COOPERATIVE SOCIETIES

(DEPARTMENT OF COOPERATIVE)

NOTIFICATION

Delhi, the 29th September, 2010

No. F. 47/218/Coop./GH/West/1425.—In exercise of powers conferred on him under section 127 of the Delhi Cooperative Societies Act, 2003 (Delhi Act 3 of 2004), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to exempt the Gewa Sampada Cooperative Group Housing Society Ltd. (Reg. No. 218) from the provisions of Section 35 (4) and accordingly extend the period of appointment of Administrator of Gewa Sampada Cooperative Group Housing Society Ltd. upto 31-03-2011.

By Order and in the name of The Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi,

PHILIP THANGLIENMANG, Jt. Registrar Cooperative Societies

मूल्य संवर्द्धन अधिकारी, क्षेत्र संख्या 24 एवं 25

(व्यापार एवं कर विभाग)

अधिसूचना

दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2010

सं. F1/W-24/VATO/2010/1282,-समस्त प्रदेश/संघ शासित क्षेत्रों के समहर्ता अधिकारी एवं पंजीकृत व्यापारियों को अधिसूचित किया जाता है कि निम्न वैधानिक फार्म सी.एफ.सी. से विलुप्त अर्थात् चोरी हो गये हैं -

1 सी-फार्म संख्या: 231,

सीरिज संख्या: 15पी 798270 से 798500 <

2 एफ-फार्म संख्या: 100.

सीरिज संख्या: 03क्यू 932001 से 932100

अतः इन फार्मों का किसी व्यापारी द्वारा प्रयोग अनिधकृत है और समस्त समहर्ता अधिकारियों से प्रार्थना की जाती है कि यदि ये फार्म प्रस्तुत किये जायें तो इन फार्मों को स्वीकार न करें और फार्म का अनिधकृत प्रयोग के लिए सम्बन्धित व्यापारियों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही करें।

सुधीर शर्मा, मूल्य संवर्द्धन अधिकारी

क्षेत्र संख्या 24

OFFICE OF THE VALUE ADDED TAX OFFICER, WARD 24

(Department of Trade & Taxes)

NOTIFICATION

Delhi, the 1st October, 2010

No. F.1/W-24/VATO/2010/1282.—It is notified for information of Assessing Authorities as also of registered traders of all States/UTs that the following statutory forms have been found misplaced/stolen from Ward 24:

1. Form: 'C'-No. of Forms-231

(Sl. No. 15P 798270 to 798500)

2. Form 'F'-No. of Forms-100

(Sl. No. 03Q 932001 to 932100)

Use of these forms by any trader is, therefore, unauthorised and all the Assessing Authorities are requested not to entertain these forms, if submitted, and take punitive action against the concerned trader for misuse of the forms.

SUDHIR SHARMA, Vatofficer Ward 24

आदेश

दिल्ली, 4 अक्तूबर, 2010

सं. फा.10 (1419)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./5083.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पिठत भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिवतयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री यू टेयर इण्डिया प्रा. लि., ऑफिस नं. 2, फिरोज शाह रोड, नई दिल्ली-110 001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 1,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1000001 से 2000000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 10,000 (रुपये दस हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

ORDER

Delhi, the 4th October, 2010

F. No. 10(1419)/COS(HQ)/Cons. Duty/5083.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. U Tair India Private Limited, Office No. 2, Feroz Shah Road, New Delhi-110 001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 10,000 (Rs. Ten Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs. 1,00,00,000 for equity Share certificates with distinctive Nos. 1000001 to 2000000 to be issued by the said company.

आदेश

दिल्ली, 5 अक्तूबर, 2010

सं. फा.10 (1434)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./5107.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा(1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री बंसल क्रेडिट लि., अंसारी रोड, दूसरी मंजिल, दिखागंज, नई दिल्ली–110002, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 29,51,000 मूल्य के सेक्योर्ड, रिडिमेबल, नन कनवर्टिबल, जो कि डिबेन्चर के रूप में जिनकी पृथक संख्या 0141615 से 0144565 सीरिज डब्लू एवम् एक्स है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 2951 (रुपये दौ हजार नौ सौ इक्कावन) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

ORDER

Delhi, the 5th October, 2010

F. No. 10(1434)/COS(HQ)/Cons. Duty/5107.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Bansal Credits Limited, 1, Ansari Road, 2nd Floor, Daryaganj, New Delhi-110 002, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 2,951 (Rs. Two Thousand Nine Hundered Fifty One) only on the aggregate value of debentures of Rs. 29,51,000 for issue of Secured redeemable Non-Convertible debentures Series W and X bearing distinctive No. 0141615 to 0144565 to be issued by the said company.

आदेश

दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2010

सं. फा.10 (1438)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./5135.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा(1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री मर्सी क्रोप्स इण्डिया, 13, अबुल फजल रोड, बंगाली मार्केट, नई दिल्ली–110 001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 10,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 01 से 10000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 100 (रुपये एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

ORDER

Delhi, the 6th October, 2010

F. No. 10(1438)/COS(HQ)/Cons. Duty/5135.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Mercy Corps India, 13, Abul Fazal Road, Bengali Market, New Delhi-110 001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 100 (Rs. One Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 1,00,000 for Equity Share Certificate with distinctive Nos. 01 to 10000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1417)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./5136.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा(1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिंक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री आईएफसीआई लि., आई एफ सी आई टावर, 61, नेहरू प्लेम, नई दिल्ली–110019, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 8,80,13,90,520 (रुपये 7,49,08,90,520 नन-वैंकिंग कं. के लिए एवम् रुपये 1,31,05,00,000 बैंकिंग कं. के लिए) मूल्य के बोण्ड्स जो कि प्रोमिशनरी नोट के रूप में है जिनकी पृथक संख्या का ब्यौरा निम्नलिखित टेबल में वर्णित है; पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 77,52,991 (रुपये सत्तर लाख बावन हजार नौ सौ इक्यानवे) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

नं. ऑफ	वैल्यू	डिस्ट. नं.	बैंकस	अदर्स	टोटल्स (बैंक्स)	टोटल्स (अदर्स)
ए. 41470	रु. 24116 प्रत्येक	520000000- 520041470	निल	41470	निल	₹. 1,00,00,90,520
बी. 2500	रु. 10,00,000 प्रत्येक	53000000- 53002500	निल	2500	निल	₹. 2,50,00,00,000
सी. 5000	रु. 10,00,000 प्रत्येक	540000000- 540005000	1150	3850	₹. 1,15,00,00,000	₹. 3,85,00,00,000
डी. 3013	रु. 1,00,000 प्रत्येक	4900002251- 4900005263	1605	1408	₹. 16,05,00,000	₹. 14,08,00,000
		कुल	2755	49228	₹. 1,31,05,00,000	₹. 7,49,08,90,520
		स्टैंप डयूटी चार्जेबल		*	₹. 2,62,100	₹. 74,90,891
		कुल स्टैंप डयूटी चार्जेबल			₹. 2,62,100-00 74,90,891-00	
					77,52,991-00	

F. No. 10(1417)/COS(HQ)/Cons. Duty/5136.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. IFCI Limited, IFCI Tower, 61 Nehru Place, New Delhi-110 019, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 77,52,991 (Rs. Seventy Seven Lac Fifty Two thousand Nine Hundred Ninety One) only on the aggregate value of bonds in the nature of promissory note of Rs. 8,80,13,90,520 (Rs. 7,49,08,90,520 to Non-Banking companies and Rs. 1,31,05,00,000 to banking companies) bearing distinctive numbers as per details below to be issued by the company.

No. of Bonds	Value	Dist. No.	Banks	Others	Total (Banks)	Total (Others)
A. 41470	Rs. 24116 each	520000000- 520041470	nil ·	41470	nil	Rs. 1,00,0090,520/-
B. 2500	Rs. 10,00,000 each	53000000- 53002500	nil	2500	nil	Rs. 2,50,00,00,000
C. 5000	Rs. 10,00,000 each	540000000- 540005000	1150	3850	1,15,00,00,000	Rs, 3,85,00,00,000

D. 3013	1,00,000/- each	4900002251- 4900005263	1605	1408	Rs. 16,05,00,000	Rs. 14,08,00,000/-
		Total	2755	49228	Rs. 1,31,05,00,000	Rs. 7,49,08,90,520
		Stamp Duty Chargeable		,	Rs. 2,62,100/-	Rs. 74,90,891/-
		Total Stamp Duty Chargeable			Rs. 2,62,100-00 74,90,891-00	
					77,52,991-00	

सं. फा.10 (1439)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./5137.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मै. मिनवां फ्लेवर्स एण्ड फ्रैंगरेन्स प्रा. लि., 1101, इन्द्रप्रकाश, 21, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 1,68,50,000/- मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 6622701 से 8307700 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 16,850/-(रुपये सोलह हजार आठ सौ पचास) केवल के समेंकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1439)/COS(HQ)/Cons. Duty/5137.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Minerva Flavours and Fragrance Private Limited, 1101, Indraprakash, 21, Barakhamba Road, New Delhi shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 16,850/- (Rs. Sixteen thousand eight hundred fifty) only on the aggregate value of shares of Rs. 1,68,50,00,000/- for Equity Share certificates with distinctive Nos. 6622701 to 8307700 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1442)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./5138.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मै. इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड सर्विसेज लि., प्लॉट नं. सी-4, डिस्ट्रीक सेन्टर, साकेत, नई दिल्ली-110017 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 4,50,00,000/- मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 400001 से 4900000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 45,000/-(रुपये पेंतालीस हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1442)/COS(HQ)/Cons. Duty/5138.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Ircon Infrastructure and Services Limited, Plot No. C-4, District Centre, Saket, New Delhi-110017 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 45,000/- (Rs. Forty Five Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs. 4,50,000/- for Equity Share certificates with distinctive Nos. 4,00,001 to 49,00,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1435)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./5139.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(इ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मै. मैक्स बूपा हेल्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि., मैक्स हाउस, 1 डा. झा मार्ग, ओखला, नई दिल्ली-110020 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 32,00,00,000/- मूल्य के इविवटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 188000001 से 220000000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 3,20,000/-(रुपये तीन लाख बीस हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1435)/COS(HQ)/Cons. Duty/5139.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Max Bupa Health Insurance Company Limited, Max House, 1 Dr. Jha Marg, Okhla, New Delhi-110020 shall pay

65

a consolidated stamp duty of Rs. 3,20,000 (Rs. Three Lac Twenty Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs. 32,00,00,000/- for Equity Share certificates with distinctive Nos. 188000001 to 220000000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1261)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./5140.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मै. नोएडा साइबरपार्क प्रा. लि., 18, कोटला लेन (एलजीएफ) राउज ऐवेन्यू, नई दिल्ली-110002, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 11,98,63,638/- मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 8961039 से 9870129 (क्लास-सी) और जिनकी पृथक संख्या 0000001 से 1090000 (क्लास-ई) है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 1,19,864-(रुपये एक लाख उन्नीस हजार आठ सौ चौंसठ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1261)/COS(HQ)/Cons. Duty/5140.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Noida Cyberpark Private Limited, 18, Kotla Lane (LGF), Rouse Avenue, New Delhi - 110002 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,19,864/- (Rs. One lac nineteen thousand eight hundred sixty four) only on the aggregate value of shares of Rs. 11,98,63,638/- for Equity Share certificates with distinctive Nos. 8961039 to 9870129 (class 'C' equity shares) and 0000001 To 1090000 (class 'E' equity shares) to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1440)/मु. स. (मुख्या)/स.शु./5141.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मै. वेल इण्डिया प्रा.लि., ए-38, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली-110048, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 1,07,12,740/- मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 19227577 से 20298850 है पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 10,713-(रुपये दस हजार सात सौ तेरह) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से,

आर. के. मिश्रा, विशेष महानिरीक्षक (पंजीकरण)

F. No. 10(1440)/COS(HQ)/Cons. Duty/5141.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Vale India Private Limited, A-38, Kailash Colony, New Delhi -110048 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 10,713/- (Rs. Ten thousand seven hundred thirteen) only on the aggregate value of shares of Rs. 1,07,12,740/- for Equity Share certificates with distinctive Nos. 19227577 to 20298850 to be issued by the said company.

By Order,

Of Chief Controlling Revenue Authority Govt. of National Capital Territory of Delhi,

R. K. MISRA, Special Inspector General (Registration)